66

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

शांती पुत्री तुलसीदास निवासी गाड़ा, 234 तह. हनुमना, जिला– रीवा म.प्र.

---- आवेदिका

बनाम R–III/रिस्टो./2017/3019

शासन म.प्र.

--- अनावेदक

प्रकरण पुनर्स्थापित किये जाने बावत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म. प्र. भू– रा. सं. सन 1959 ई.

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं–

1– यह कि उक्त प्रकरण दिनांक 19.7.17 को आवेदिका के अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज हो गया है।

2– यह कि महिला होने के कारण आवेदिका के अधिवक्ता ने पेशी पर न आने को कहा था, इस कारण आवेदिका पेशी पर नहीं आई एवं आवेदिका के अधिवक्ता अन्यत्र प्रकरण में व्यस्त हो गये तथा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया प्रकरण में जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई है, अधिवक्ता की गलती से पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता है।

अस्तु विनय है कि प्रकरण को पुनर्स्थापित किये जाने की कृपा की जाय।

आवेदिका

दिनांक–18.8.17

शांती पुत्री तुलसीदास निवासी गाड़ा,
234 तह. हनुमना, जिला– रीवा म.प्र.

द्वारा /अधिवक्ता
शशि पाण्डेय,एड.

III/निगु/रेवा/खरा/17/2019

— 2 —

	...ड खारिज/
7/3/18	आवेदक अधि० के तर्कों पर विचार किया। पु०प्र० R-1520 II/04 में पारित आ०दि० 19/7/17 खारिज किया गया व प्र०प्र० पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। ऐसे आवेदन पर देखरेख कर समाप्त किया जाता है। सदस्य

16-7